"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 106] रायपुर, बुधवार, दिनांक 2 मई 2012—वैशाख 12, शक 1934

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/21/2012/वाक/पांच (24).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :—

संशोधन

उक्त कथित नियमों में, नियम 20 के उप-नियम (2) के खंड (ख) में वर्तमान द्वितीय परंतुक में अंक एवं शब्द "30 अप्रैल, 2012" के स्थान पर अंक एवं शब्द "31 मई, 2012" प्रतिस्थापित किया जाय.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2012

क्रमांक एफ-10/21/2012/वाक/पांच (24).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/21/2012/वाक/पांच (24), दिनांक 30-04-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 30th April 2012

NOTIFICATION

No. F-10/21/2012/CT/V (24).—In exercise of the powers conferred by section 71 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in the present second proviso in clause (b) of sub-rule (2) of rule 20, for the word and figures "30th April, 2012" the word and figures "31st May, 2012" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
XAVIER TIGGA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/21/2012/वाक/पांच (25).—चूंकि राज्य शासन का यह समाधान हो गया है कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005), केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) एवं छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) के अंतर्गत करदायी व्यवसाईयों की ऐसी सभी कर निर्धारण कार्यवाहियां जिन्हें छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 21 की उपधारा (7) के प्रावधानों के अंतर्गत कलैण्डर वर्ष 2011 के अंत तक पूर्ण किया जाना नियत है, कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा किये जा रहे सभी संभव प्रयासों के उपरांत भी नियत समयावधि में पूर्ण नहीं की जा सकती है. कर निर्धारण अधिकारियों को ऐसी कार्यवाहियों को गुणदोष के आधार पर पूर्ण करने के लिये सक्षम बनाने हेतु, न्याय हित में यह आवश्यक है कि ऐसी कार्यवाहियों को पूर्ण करने के लिये नियत समय-सीमा बढ़ाई जाए.

अतः छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 21 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा प्रत्येक व्यवसायी के संबंध में उक्त अधिनियमों के अंतर्गत ऐसी प्रत्येक कर निर्धारण कार्यवाहियां जो उपायुक्त वाणिज्यिक कर, सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर, वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के समक्ष लंबित हो, जो 30 अप्रैल, 2012 तक पूर्ण नहीं की जाती है, पूर्ण करने की अवधि 30 जून, 2012 तक बढ़ाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2012

क्रमांक एफ-10/21/2012/वाक/पांच (25).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/21/2012/वाक/पांच (25), दिनांक 30-04-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 30th April 2012

NOTIFICATION

No. F-10/21/2012/CT/V (25).—Whereas, the State Government is satisfied that all such assessment proceedings of dealers liable to pay tax under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) and the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), which have to be completed by the end of the calendar year 2011 under the provisions of sub-section (7) of section 21 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), can not be completed within the prescribed period despite all possible efforts being made by the assessing authorities. In order to enable the assessing authorities to complete such proceedings on merits, it is essential in the interest of justice that the time limit prescribed for the completion of such proceedings is extended.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (8) of the section 21 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, extends up to 30th June, 2012, the period of completion of every such assessment proceedings under the said Acts in respect of every dealer pending before the Deputy Commissioner of Commercial Tax, Assistant Commissioner of Commercial Tax, Commercial Tax Officers and Assistant Commercial Tax Officers which is not completed by 30th April, 2012.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
XAVIER TIGGA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.